न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 175/2022
आरसीएमएस नं. 2022/00175

जगदीश पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी चक 10 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. विद्या पुत्री दौलतराम जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. सवित्री पुत्री दौलतराम जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. मीरां देवी पत्नी देवीशंकर जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. मन्जु पुत्री देवीशंकर जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. कविता पुत्री देवीशंकर जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. मनोज पुत्र देवीशंकर जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. जयदेव–फौत
   7/1 कलावती पत्नी स्व0 जयदेव पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी 12 डीएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
   7/2 प्रकाश पुत्र स्व0 जयदेव पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी 12 डीएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर
   7/3 राजेश पुत्र स्व0 जयदेव पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी 12 डीएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर
8. लिछमा पुत्री गणेशदास पत्नी बलवंत जाति स्वामी निवासी मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. धापी–फौत

9/1 बलराम पुत्र स्व0 धापी पुत्री गणेशदास पत्नी भागीरथ जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10. गीता पुत्र गणेश दास पत्नी धर्मवीर जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

11. हनुमान पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी 10 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

12. सुभाष पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी चक 10 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

13/1 मीरां देवी पत्नी औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13/2 मिर्जा पुत्री औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13/3 संदीप पुत्र औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13/4 सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13/5 सुरेन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडैन्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील विरूद्व निर्णिय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2007
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा
प्रकरण सं0 93/2006 अनवान लिछमा बनाम विद्या देवी आदि

श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री जसपाल सिह दहिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 6
श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्तागण रेस्पोडेण्ट 7/1 से 13/5

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय

दिनांक – 21.X.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि अपीलाण्ट के पिता गणेशदास पुत्र लालदास जाति स्वामी ने दिनांक 18.03.1974 को ग्राम बड़ोपल की रोही में खसरा नं. 111 की कुल 3.02 बीघा भूमि दौलतराम पुत्र गापतराम जाति जाट निवीस बड़ोपल से रजिस्टर्ड बैयनामा के द्वारा विधिवत खरीद की हुई कृषि भूमि थी। खरीद के आधार पर पहले अपीलाण्ट के पिता का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त था और उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 6 को भलीभांति ज्ञान था जिसे छुपाते हुए दौलतराम के खाते की समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम अंकन करवा लिया। जबकि 6.05 बीघा यानि 125 हिस्सा भूमि का इन्द्राज अपीलाण्ट व रेस्पो0 नं0 7 ता 13 के नाम (अपीलण्ट व रेस्पो0 नं0 7 ता 13 के नाम 62 हिस्सा व औमप्रकाश के नाम 63 हिस्सा) राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिए था इस रकबे को राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 नं0 1 ता 6 के नाम से निरस्त करने एवं अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का हिस्सा अनुसार दर्ज करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय वाद वादी खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तनकी नं. 1, 2 तथा 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था तथा तनकी नं. 3 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादीगण ने अपने पक्ष की पुष्टि में खरीद रकबे के बैयनामे की प्रमाणित प्रति नकलें पेश की तथा बयानों के जरिये प्रदर्श से प्रमाणित भी करा दी थी। प्रतिवादीगण ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं कर सके थे जिससे साबित हो कि विवादित 6.05 बीघा रकबा वादीगण के द्वारा खरीद नहीं किया हुआ हो। इस प्रकार तथ्यों के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य था। परन्तु मातहत अदालत ने अपने अपीलधीन आदेश व डिक्री में उकत तथ्यों का कोई निर्णय ही नहीं किया है। अपीलाण्ट्स घोषणात्मक वाद के माध्यम से अपने हकों व अधिकारों की घोषणा कराने के कानूनी हकदार थे। मातहत अदालत के समक्ष बैयनामा बिना मंजूरी के हुआ है या नहीं इस बाबत किसी प्रकार की तनकी निर्णय हेतु नहीं है। अपीलाधीन निर्णय अवैध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 18.03.1974 को पुरानी खातेदारी रकबे पर धारा 13 ए कोलोनाईजेशन के नियम लागू ही नहीं होते थे तथा दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

22.04.1991 को धारा 13 ए के प्रावधान राज्य सरकार ने अपवर्जित भी कर दिये थे। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध निर्णय की श्रेणी में आने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडण्ट सं0 1 ता 6 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पिता ने प्रश्नगत भूमि दिनांक 18.03.1974 को बेचान नहीं किया। विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नही है प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का हिस्सा की भूमि कब्जा काश्त है। वादीगण के साथ प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। इसलिए वादीगण के पिता के देहान्त का ज्ञान होना व उसके वारिसों का ज्ञान होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 के पिता ने कभी भी अपनी 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि का विधिवत रजिस्टर्ड बैयनामा श्री गणेशदास पुत्र लालदाव व अन्य वादी सं0 4 को नहीं करवाया गया है। प्रतिवादी नं. 1 व 3 का उनके हिस्सा की भूमि पर विरास्तन इन्तकाल दर्ज है। वर्तमान में भी यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत बैयनामा की मियाद 12 वर्ष है प्रश्गनत आदेश की अपील अन्य प्रतिवादीगण ने नहीं की है। अपीलाण्ट ने इंतकाल की भी अपील पेश नहीं की है। मुख्यतः दौलतराम ने भूमि नहीं बेची और अपीलाण्ट ने दौलतराम की मृत्यु के बाद ही वाद क्यों पेश किया है। उसके जीवित रहते वाद क्यों नहीं पेश किया गय इसका काई कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि पर कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 7 ता 13/5 ने अपनी बहस में अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एव पत्रावली का अवलोकन किया।

7. रस्टिर्ड बैयनामा दिनांक 18.03.1974 से प्रश्नगत 6.05 बीघा भूमि वादीगण द्वारा खरीद शुदा भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा जो विरास्तन इन्तकाल अपने हिस्से का 18.08 बीघा का दर्ज करवाया गया है वह गलत दर्ज कराया गया है। उक्त भूमि में से 125 हिस्सा दौलतराम पुत्र गणपत द्वारा बेचान किया हुआ है जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं। लेकिन मुताबिक बैयनामा इंतकाल दर्ज करने में तहसीलदार सक्षम होता है। बैयनामों के आधार पर तहसीलदार पीलीबंगा के यहां इंतकाज दर्ज कराने की वादी चाराजोही करने में सक्षम है। चूंकि बैयनामा बिला मन्जूरी होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पीलीबंगा को निर्णय की प्रति भिजवाये जाने के आदेश दिये हैं कि प्रकरण धारा 13 ए का बनता है तो नियमानुसार प्रकरण तैयार कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ समक्ष प्रेषित करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय का उक्त अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट ने इंतकाल के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2007 यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.X.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (रा.)

21/X/22

(करतारसिंह पूनीयाँ)

आर..ए.एस

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील सं0 175/2022
आरसीएमएस नं. 2022/00175

जगदीश पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी चक 10 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. विद्या पुत्री दौलतराम जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
2. सवित्री पुत्री दौलतराम जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. मीरां देवी पत्नी देवीशंकर जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. मन्जु पुत्री देवीशंकर जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. कविता पुत्री देवीशंकर जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. मनोज पुत्र देवीशंकर जाति भादू निवासी झुरियांवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
7. जयदेव–फौत
   7/1 कलावती पत्नी स्व0 जयदेव पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी 12 डीएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
   7/2 प्रकाश पुत्र स्व0 जयदेव पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी 12 डीएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर
   7/3 राजेश पुत्र स्व0 जयदेव पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी 12 डीएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर
8. लिछमा पुत्री गणेशदास पत्नी बलवंत जाति स्वामी निवासी मोहन मगरिया तहसील व जिला हनुमानगढ
9. धापी–फौत

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9/1 बलराम पुत्र स्व0 धापी पुत्री गणेशदास पत्नी भागीरथ जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

10. गीता पुत्र गणेश दास पत्नी धर्मवीर जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. हनुमान पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी 10 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
12. सुभाष पुत्र गणेशदास जाति स्वामी निवासी चक 10 एसएचपीडी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

13/1 मीरां देवी पत्नी औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13/2 मिर्जा पुत्री औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13/3 संदीप पुत्र औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13/4 सुमन पुत्री औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

13/5 सुरेन्द्र पुत्र औमप्रकाश जाति स्वामी निवासी चुंगी नं. 3 के पास रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णिय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2007
द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा
प्रकरण सं0 93/2006 अनवान लिछमा बनाम विद्या देवी आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री जसपाल सिह दहिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 6, श्री प्रदीप मोहन भाटी अधिवक्तागण रेस्पोडेण्ट 7/1 से 13/5 की ओर से बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.11.2007 यथावत रखा जाता है।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 21.X.22 को जारी की गई।

21/X/22

(करतार सिंह पूनियॉ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ